आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.02.2022	अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्ता श्री जीतन मराण्डी अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय उपस्थित रहीं। प्रतिवादी श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा द्वारा बताया गया कि वे माह सितम्बर में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय प्रभार लीं हैं। सुनवाई के क्रम में श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा के द्वारा अपना पक्ष रखा गया। प्रतिवादी द्वारा यह भी बताया गया कि गाण्डेय प्रखण्ड में आँगनबाड़ी केन्द्रों में पिछले कई माह से 03–06 वर्ष के बच्चों को दिया जाने वाला चावल मात्र वितरित किया जा रहा है। दाल आदि का वितरण राशि आबंटन प्राप्त नहीं प्रभावित होने के कारण स्थगित है। स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निम्न आदेश दिया जाता हैः– 1. उक्त केन्द्र से संबंधित category wise 6 माह–3 वर्ष एवं 3–6 वर्ष तक के बच्चे को दी जाने वाली वित्तीय वर्ष– 2021–22 (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022) तक का स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन सारणी बद्ध करके आयोग को प्रस्तुत किया जाय। 2. संबंधित केन्द्र के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित निबंधित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का प्रतिवेदन लेकर प्रस्तुत हों। 3. JSLPS द्वारा दी जाने वाली (THR एवं 3–6 वर्ष के बच्चों) पैकेट का एक sample लेकर उपस्थित हों। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि श्रीमती उषा देवी, आँगनबाड़ी सेविका सुनवाई की अगली तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित रहें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.02.2022 को निर्धारित की जाती है। 17/02/2022 (डॉ0 रंजना कुमारी) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

17.2.22

D:\Premlata\Final Court Order.docx23